


संशोधित प्रेस विज्ञापित

कृपया निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल के कार्यालय पत्रांक 483 दिनांक 04 मई, 2025 के माध्यम से विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में निःशुल्क कोचिंग योजना हेतु जारी विज्ञापित के तकनीकी शर्तों में उल्लिखित जिला समाज कल्याण अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी शर्त हेतु विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे एवं पाठयक्रमों में उल्लिखित UKSSC के स्थान पर UKSSC पढ़ा जाए।

अतः पूर्व में प्रकाशित विज्ञापित को यहां तक संशोधित समझा जाए, अन्य शर्तें यथावत रहेगी।


(डॉ० संदीप तिवारी)
निदेशक।

निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्र संख्या / 579 / स0क0 / कोचिंग / विज्ञापित / 2025-26

दिनांक 07 मई, 2026

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. नोडल अधिकारी, आई०टी०सैल, समाज कल्याण, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञापित को विभागीय बैबसाइट www-socialwelfare.uk.gov.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञापित को जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने तथा योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
4. सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के पृष्ठ पर 4x3(Inch) प्रकाशित करते हुए भुगतान हेतु बिल प्रकाशित सूचना की प्रति जिला सूचना अधिकारी की संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. कार्यालय प्रति।


निदेशक।